



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 813]
No. 813]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अप्रैल 4, 2013/चैत्र 14, 1935
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2013/CHAITRA 14, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2013

(आयकर)

का.आ. 924(अ).—जबकि, करों के बारे में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जिब्राल्टर की सरकार के बीच एक करार (इसके पश्चात् इसे करार कहा जायेगा) पर फरवरी, 2013 के प्रथम दिन लंदन में हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त करार को लागू करने की तारीख 11 मार्च, 2013 है, जो उक्त करार के अनुच्छेद 12 के उपबंधों के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों के तहत यथा-अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि करों के बारे में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जिब्राल्टर की सरकार के बीच इस करार के सभी उपबंध, जो कि इसके साथ संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं, भारत संघ में लागू होने की तारीख, अर्थात् 11 मार्च, 2013 से प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं. 28/2013/फा. सं. 503/11/2009-एफटीडी- I]

संजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान हेतु भारत गणराज्य की सरकार

और

जिब्राल्टर की सरकार के बीच करार

जबकि भारत गणराज्य की सरकार और जिब्राल्टर की सरकार "संविदाकारी पक्ष", करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान को अधिशासित करने वाली निबंधनों एवं शर्तों को सुगम एवं सुकर बनाने की इच्छुक हैं;

जबकि यह स्वीकृत है कि जिब्राल्टर की सरकार को युनाइटेड किंगडम से सुपुर्दगी की शर्तों के अंतर्गत जिब्राल्टर की सरकार से वार्ता करने, निष्पन्न करने, निष्पादन करने तथा इस करार की शर्तों के अधीन भारत गणराज्य की सरकार के साथ कर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करार को समाप्त करने का अधिकार है;

अतः, अब संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित करार को, जिसमें केवल भारत और जिब्राल्टर की ओर से बाध्यताएं शामिल हैं, निष्पन्न करने के लिए सहमत हुए हैं;

अनुच्छेद 1

करार का उद्देश्य एवं कार्य-क्षेत्र

संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन हेतु व्यवहार्य रूप से सुसंगत हैं। ऐसी सूचना में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन के लिए सुसंगत है। इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा और अनुच्छेद 8 में दिए गए तरीके में इसको गोपनीय माना जाएगा। अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहां तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान में अनुचित रूप से बाधा न डालें अथवा उसे विलम्बित न करें।

अनुच्छेद 2

क्षेत्राधिकार

सूचना का आदान-प्रदान इस करार के अनुसार किया जाएगा, इस बात का ध्यान किए बिना कि वह व्यक्ति जिससे यह सूचना संबंधित है अथवा जिसके द्वारा सूचना धारित की गई है, किसी एक संविदाकारी पक्ष का निवासी है। तथापि, अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए बाध्यकारी नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण में है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

अनुच्छेद 3

सम्मिलित कर

1. कर, जो इस करार के विषय हैं, इस प्रकार हैं :
 - क) भारत में, केन्द्रीय सरकार अथवा राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की सरकारों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार तथा विवरण के कर, इस बात का विचार किए बिना कि वे किस तरीके से लगाए गए हैं;
 - ख) जिब्राल्टर में, प्रत्येक प्रकार और विवरण के कर, इस बात पर विचार किए बिना कि वे किसी तरीके से लगाए गए हैं।

2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए किन्हीं समरूप करों पर भी लागू होगा। यह करार इस करार के हस्ताक्षर करने की तारीख के पश्चात लगाए गए मौजूदा करों अथवा इसके अलावा किसी पर्याप्त रूप से समान करों के लिए भी लागू होगा यदि संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने के लिए सहमत होते हैं। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान और संबंधित सूचना एकत्र करने वाले उपायों के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्ष की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 4

परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए
 - क) "भारत" से तात्पर्य भारत का भू-क्षेत्र और इसमें सीमांतर्गत समुद्र और उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्रवर्ती क्षेत्र है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के आभिसमय सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हैं;
 - ख) "जिब्राल्टर" पद से तात्पर्य जिब्राल्टर के भू-भाग से है;
 - ग) पद "संविदाकारी पक्ष" से तात्पर्य भारत अथवा जिब्राल्टर, जैसा भी संदर्भ अपेक्षित हो;
 - घ) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य -
 - (i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं;
 - (ii) जिब्राल्टर के मामले में, वित्त मंत्री अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि;
 - ड.) "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है;
 - च) "कम्पनी" से तात्पर्य कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता है;
 - छ) "सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी" से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों। शेयर "जनता द्वारा" क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;
 - ज) "शेयरों का प्रमुख वर्ग" से तात्पर्य वोट देने की शक्ति और कम्पनी के मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है;
 - झ) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से तात्पर्य है :
 - (i) भारत में, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज; तथा
 - (ii) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनार्थ मान्यता देने के लिए सहमत हों;
 - ञ) "सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य सामूहिक निवेश के साधन से है, चाहे उसका कानूनी रूप कुछ भी हो;

- ट) "सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को "जनता द्वारा" सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हो;
- ठ) "कर" से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है;
- ड) "अनुरोधित पक्ष" से तात्पर्य उस संविदाकारी पक्ष से है जिससे सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है अथवा जिसने सूचना उपलब्ध कराई है;
- ढ) "अनुरोध करने वाले पक्ष" से तात्पर्य, उस संविदाकारी पक्ष से है जो अनुरोधित पक्ष से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है अथवा उनसे सूचना प्राप्त करता है;
- ण) "सूचना एकत्र करने वाले उपाय" से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध की गई जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं;
- त) "सूचना" से तात्पर्य कोई तथ्य, विवरण, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो;
- थ) "आपराधिक कर मामलों" का तात्पर्य इस करार के लागू होने से पहले अथवा बाद में उन कर मामलों से है जिसमें अभिप्रेत संव्यवहार शामिल है, जिस पर आपराधिक कानूनों तथा/अथवा अनुरोधकर्ता पक्ष के करों से संबंधित कानूनों के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है;
- द) "आपराधिक कानून" पद का अर्थ घरेलू कानूनों के अंतर्गत इस प्रकार नामोद्दिष्ट सभी आपराधिक कानूनों से है चाहे वे कर कानूनों, आपराधिक संहिता अथवा अन्य अधिनियमों में निहित हैं अथवा नहीं।

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद-11 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय हो, उस पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में अभिभावी रहता है।

अनुच्छेद 5

अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान

1. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद 1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचना उपलब्ध कराएगा। ऐसी सूचना का आदान-प्रदान इस बात का विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या अनुरोध करने वाले पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह अनुरोधित पक्ष के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार में घटित होता है।

2. यदि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना पर्याप्त रूप से इस प्रकार उपलब्ध नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह पक्ष, अनुरोध करने वाले पक्ष को अनुरोधित सूचना को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा इस बात के होते हुए भी कि अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के अनुच्छेद -1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ अनुरोध पर निम्न को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार है :

क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जिसमें नामजद व्यक्ति और न्यासी भी शामिल है, द्वारा धारित कोई सूचना;

ख) कम्पनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यास, फाउंडेशन, "आन्सटालटन" और अन्य व्यक्ति, संबंधी सूचना जिनमें अनुच्छेद 2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व श्रृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना; सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना; न्यासों के मामले में अवस्थापक, संरक्षकों, न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचना; और ऐसी सत्ताओं के बारे में ऐसी ही जानकारी जो न तो न्यास हैं और न ही संस्था है।

5. यह करार सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों अथवा सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के संबंध में स्वामित्व संबंधी सूचना प्राप्त करने अथवा उपलब्ध कराने के लिए संविदाकारी पक्षों को बाध्य नहीं बनाती जब तक कि ऐसी सूचना विषम कठिनाईयाँ उत्पन्न किए बिना प्राप्त की जा सकती हो।

6. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के लिए सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएंगे :

क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान;

ख) वह अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है;

ग) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे प्राप्त करने को प्राथमिकता देगा;

घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;

ड.) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित पक्ष के पास है अथवा अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है;

च) जहां तक ज्ञात हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने का अनुमान है; और

छ) एक विवरण यह बताते हुए कि यह अनुरोध, अनुरोधकर्ता पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप है, और यह कि यदि अनुरोधित सूचना अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में थी तो अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्ता पक्ष के कानूनों के तहत अथवा प्रशासनिक पद्धति की सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचना प्राप्त करने में सक्षम होगा और यह कि यह इस करार के अनुरूप है; और

ज) यह विवरण देते हुए कि अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयाँ को बढ़ाएंगे।

7. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा। शीघ्र प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न कार्य करेगा :

1389 GI/13-2

- क) अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध प्राप्त की पुष्टि करेगा तथा अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में कमियों के बारे में, यदि कोई हों, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा;
- ख) यदि अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना को प्राप्त करने एवं प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को प्रस्तुत करने में पेश आई बाधाएं शामिल हैं अथवा वह सूचना प्रदान करने से इंकार करता है तो वह तत्काल अपनी समर्थता, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी स्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्ता पक्ष को सूचित करेगा ।

अनुच्छेद 6

विदेश में कर चांच

1. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अपने अन्तरदेशीय कानूनों के तहत अनुमत्य सीमा तक, व्यक्तियों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से व्यक्तियों के साक्षात्कार हेतु और रिकार्डों की जांच करने के लिए अनुरोधित पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा ।
2. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रस्तुत रहने की अनुमति दे सकता है, जिस मामले में अनुरोधित पक्ष के जांच कर रहे सक्षम प्राधिकारी, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदिष्ट अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रतिशीघ्र अधिसूचित करेगा । कर जांच करने के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले अनुरोधित पक्ष द्वारा किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 7

सूचना हेतु अनुरोध की अस्वीकार करने की संभावना

1. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है :
 - क) जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप नहीं किया गया हो; अथवा
 - ख) जहां अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी; अथवा
 - ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा ।
2. यह करार एक संविदाकारी पक्ष पर निम्न बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा :
 - (i) ऐसी सूचना देना जो किसी व्यापारिक कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करेगी, बशर्ते कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचना को सिर्फ इस करार से ऐसे गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह उस पैराग्राफ में वर्णित मापदण्ड को पूरा करता है; और

(ii) ऐसी सूचना प्राप्त करना अथवा प्रदान करना जो एक ग्राहक और अधिवक्ता, प्रतिवक्ता अथवा अन्य स्वीकृत कानूनी प्रतिनिधि के बीच गोपनीय बातचीत को प्रकट करेगा, जहां ऐसी बातचीत को:

- (क) कानूनी सलाह मांगने अथवा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया हो; अथवा
(ख) मौजूदा अथवा अपेक्षित कानूनी कार्यवाहियों में प्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया हो ।

3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके कारण अनुरोध किया गया है, विवादित है ।
4. अनुरोधित पक्ष से उस सूचना को प्राप्त करने अथवा प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिसे अनुरोधकर्ता पक्ष प्रशासनिक प्रयोजन के लिए अथवा अपने स्वयं के कर कानूनों को लागू करने के लिए अथवा इस करार के अंतर्गत अनुरोधित पक्ष से वैध अनुरोध के प्रत्युत्तर में अपने स्वयं के कानूनों के तहत इसी तरह की परिस्थितियों में प्राप्त करने के लिए असमर्थ होगा ।
5. अनुरोधित पक्ष सूचना हेतु अनुरोध को उस स्थिति में इंकार कर सकता है यदि सूचना के लिए अनुरोध आवेदन पक्ष द्वारा आवेदन पक्ष के कर कानून के ऐसे उपबंध को अथवा उससे जुड़े किसी अपेक्षा को संचालित अथवा लागू करने के लिए किया जाता है, जो अनुरोधित पक्ष के राष्ट्रिक के प्रति उन्हीं परिस्थितियों में आवेदक पक्ष के एक राष्ट्रिक की तुलना में पक्षपात करता है ।

अनुच्छेद 8

गोपनीयता

इस करार के अंतर्गत एक संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्त की गई किसी सूचना को गोपनीय समझा जाएगा और इसे सिर्फ संबंधित संविदाकारी पक्ष के क्षेत्राधिकार में व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय एवं प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो इस करार में शामिल करों के संबंध में उसके निर्धारण अथवा उनकी वसूली अथवा उसके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी, ऐसी सूचना का प्रयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे । वे ऐसी सूचना को सार्वजनिक न्यायालय संबंधी कार्यवाहियों अथवा न्यायिक-निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं । सूचना को अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की तुरंत लिखित सहमति के बगैर किसी अन्य व्यक्ति अथवा हस्ती अथवा प्राधिकारी अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकार को (जिनमें विदेशी सरकार शामिल है) प्रकट नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद 9

लागतें

1. जब तक कि संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी अन्यथा सहमत न हों, सहयोग देने में उपगत सामान्य लागतों को अनुरोधित पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा और इस अनुच्छेद के उपबंधों के अध्याधीन, सहयोग देने में उपगत असाधारण लागतों को, यदि वे 500 डालर से अधिक हो जाती हैं, अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा ।

2. किसी विशिष्ट मामले में, जहां असाधारण लागतों की 500 डालर से अधिक होने की संभावना हो, सक्षम प्राधिकारी, पहले ही, यह निर्धारित करने के लिए एक-दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे कि क्या अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोध करना जारी रखेगा और लागत को वहन करेगा।
3. सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के संबंध में समय-समय पर परामर्श करेंगे।
4. सामान्य लागतों में आंतरिक प्रशासनिक लागतें, कुछ गौण बाह्य लागतें और अतिरिक्त व्यय शामिल हैं जो अनुरोधित पक्ष द्वारा प्रस्तुत सूचना हेतु अनुरोधों की समीक्षा करने और उनका उत्तर देने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा उपगत की गई हों :
 - क) अनुरोधित पक्ष की ओर से दस्तावेजों के प्रतिलिपिकरण हेतु तीसरे पक्षों द्वारा प्रभारित उचित शुल्क;
 - ख) व्याख्याताओं, अनुवादकों अथवा अन्य मान्य विशेषज्ञों को रखने के लिए उपयुक्त लागतें;
 - ग) अनुरोधकर्ता पक्ष को दस्तावेज देने के लिए उपयुक्त लागतें;
 - घ) सूचना हेतु एक विशिष्ट अनुरोध के संबंध में अनुरोधित पक्ष की मुकदमेबाजी संबंधी उपयुक्त लागतें; और
 - ड.) बयान अथवा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लागतें।

अनुच्छेद 10

विधान का कार्यान्वयन

संविदाकारी पक्ष करार की शर्तों का अनुपालन करने और उसे प्रवर्तित करने के लिए किसी आवश्यक विधान को अधिनियमित करेंगे।

अनुच्छेद 11

पारस्परिक करार विधि

1. जहां संविदाकारी पक्षों के बीच करार को लागू करने अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में कठिनाइयाँ अथवा संदेह उत्पन्न होते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 5 और 6 के तहत प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे।
2. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत करार करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत करेंगे।

अनुच्छेद 12

प्रवृत्त

1. संविदाकारी पक्ष इस करार को प्रवृत्त करने के लिए संबंधित कानूनों के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बारे में लिखित में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।
2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा। प्रवृत्त होने पर इसका निम्न प्रभाव होगा :
 - (क) उस तारीख को आपराधिक कर मामलों के संबंध में; और

(ख) उस तारीख को अनुच्छेद 1 में शामिल सभी मामलों के संबंध में, परंतु उस तारीख को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाली कराधेय अवधियों के लिए अथवा जहां कोई कराधेय अवधि नहीं है, वहां उस तारीख को अथवा उसके बाद उद्भूत सभी कर प्रभारों के लिए ।

अनुच्छेद 13

समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है ।
2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन वर्षों के समाप्त होने के बाद समापन की एक लिखित सूचना भेज कर करार को समाप्त कर सकता है ।
3. इस तरह का समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा । समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों पर करार के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

लंदन में वर्ष दो हजार तेरह के फरवरी माह के प्रथम दिन अनुलिपि में प्रत्येक को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया है, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

जिब्राल्टर की सरकार
की ओर से

डा. जेमिनी भगवती
भारतीय उच्चायुक्त, युनाइटेड किंगडम

जिलबर्ट लिक्वूडी क्यू सी
प्रभारी मंत्री बितीय सेवाएं

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2013

(INCOME-TAX)

S.O. 924(E),—Whereas, an Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Gibraltar for the Exchange of Information with respect to taxes was signed at London on the 1st day of February, 2013 (hereinafter referred to as the Agreement):

And whereas, the date of entry into force of the Agreement is the 11th day of March, 2013, being the date of later of the notifications of completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of the Agreement, in accordance with the provisions of article 12 of the Agreement:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Gibraltar for the exchange of information with respect to taxes, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from date of entry into force i.e. the 11th, March, 2013.

[Notification No. 28/2013/F. No. 503/11/2009-FTD-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

1389 GI/13-3

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF GIBRALTAR
FOR
THE EXCHANGE OF INFORMATION
WITH RESPECT TO TAXES

Whereas the Government of the Republic of India and the Government of Gibraltar "the Contracting Parties" wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information relating to taxes;

Whereas it is acknowledged that Gibraltar under the terms of its Entrustment from the UK has the right to negotiate, conclude, perform and subject to the terms of this agreement terminate a Tax Information Exchange Agreement with India;

Now, therefore, the Contracting Parties have agreed to conclude the following Agreement which contains obligations on the part of India and Gibraltar only:

Article 1

Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2

Jurisdiction

Information shall be exchanged in accordance with this Agreement without regard to whether the person to whom the information relates is, or whether the information is held by, a resident of a Contracting Party. However, a Requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor is in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:
 - a) in India, taxes of every kind and description imposed by the Central Government or the Governments of political sub-divisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied;
 - b) in Gibraltar, taxes of every kind and description, irrespective of the manner in which they are levied.
2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
 - a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;
 - b) the term Gibraltar means the territory of Gibraltar;

- c) the term "Contracting Party" means India or Gibraltar as the context requires;
 - d) the term "competent authority" means
 - i) in the case of India, the Finance Minister, Government of India, or its authorized representative;
 - ii) in the case of Gibraltar, the Minister of Finance or his authorised representative;
 - e) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting Parties;
 - f) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 - g) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
 - h) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
 - i) the term "recognised stock exchange" means;
 - (i) in India, the National Stock Exchange, the Bombay Stock Exchange, and any other stock exchange recognised by the Securities and Exchange Board of India; and
 - (ii) any other stock exchange which the competent authorities agree to recognise for the purposes of this Agreement.
 - j) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form;
 - k) the term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
 - l) the term "tax" means any tax to which this Agreement applies;
 - m) the term "requesting Party" means the Contracting Party submitting a request for information to, or having received information from, the requested party;
 - n) the term "requested Party" means the Contracting Party which is requested to provide the information or which has provided information;
 - o) the term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;
 - p) the term "information" means any fact, statement, document or record in whatever form;
 - q) the term "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct, whether before or after the entry into force of this agreement, which is liable to prosecution under the criminal laws and/or the tax laws of the applicant Party;
 - r) the term "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.
2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 11 of this Agreement, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.
2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

1389 GI/13-4